न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :—उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—189 / 2025

रूप सिंह उम्र 73 वर्ष पुत्र मलसिंह जाति जटसिख, साकिन गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

—वादी

बनाम

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।

—प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :—23/09/25

वादी की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता, प्रतिवादी राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

चक 36 एम ओ डी के प.नं. 39 / 254 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक बीघे में दर्ज गैर मु. खाला संसोधन कर गैर मु. खाला के स्थान पर प्रश्नगत रकबा नहरी भूमि वादी के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। आज दिनांक 23/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा